

संख्या :-89/2021 (2021/223)

अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

1. केसरसिंह पिता रूपसिंह चुण्डावत निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. नरेन्द्रसिंह पिता शंभुसिंह चौहान निवासी भूणास हाल निवास गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. विभुराजसिंह पिता प्रेमसिंह चौहान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. गोपाललाल पिता नानुराम ब्राह्मण निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. बद्रीलाल पिता हरलाल ब्राह्मण निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. सोहनलाल पिता प्यारचंद ब्राह्मण निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाड़ा मु0गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता वादीगण:- श्री सुनिल कुमार जैन
पेरोकार सरकार

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 01.10.2021

मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 09.03.2021 को प्र0सं0 33/2020 प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 3312/2943 रकबा 0.15 हे0 भूमि वर्तमान राजस्व खाता संख्या 609 पर दर्ज होकर स्थित भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पीडी/2021/330 दिनांक 30.09.2021 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।

अतः भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 3312/2943 रकबा 0.15 हे0 भूमि वर्तमान राजस्व खाता संख्या 609 पर दर्ज होकर स्थित भूमि का विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार संयुक्त प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादीगण द्वारा स्वीकार है।

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नलिखित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम के अधिनियमों में पक्ष-पक्ष अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खातेदार का नाम 2	ग्राम 3	आराजी नम्बर 4	रकबा (हे0) 5
केसरसिंह पुत्र रूपसिंह 1/3 चुण्डावत सा नांदशा के नरेन्द्रसिंह पुत्र शम्भुसिंह 1/3 चौहान सा देह विभूराज सिंह पि0 प्रेमसिंह 1/3 चौहान सा0 गंगापुर खातेदार	भूणास (खाता संख्या 609)	3312/2943 /2	0.0375
	योग	1	0.0375
नोपाल लाल पुत्र नानूराम 1/3 ब्राह्मण बदीलाल पुत्र हरलाल 1/3 ब्राह्मण सोहनलाल पुत्र प्यारचन्द 1/3 ब्राह्मण सा0 कारोई खातेदार	भूणास (खाता संख्या 609)	3312/2943 /1	0.1125
	योग	1	0.1125

अनुसूचित अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।



Ray
(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर पदेसे
उपखण्ड अधिकारी (राज.)
गंगापुर जिला

Ray
(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर पदेसे
उपखण्ड अधिकारी 2
गंगापुर जिला मीलवाडा (राज.)

संख्या :-89/2021 (2021/223)

धारा :-53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

- 1. केसरसिंह पिता रूपसिंह चुण्डावत निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2. नरेन्द्रसिंह पिता शंभुसिंह चौहान निवासी भूणास हाल निवास गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3. विभूराजसिंह पिता प्रेमसिंह चौहान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

- 1. नोपाललाल पिता नानुराम ब्राह्मण निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2. बदीलाल पिता हरलाल ब्राह्मण निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3. सोहनलाल पिता प्यारचंद ब्राह्मण निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाड़ा मु0गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता वादीगण:- श्री सुनिल कुमार जैन
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 01.10.2021

डिक्री दिनांक : 01.10.2021

मुद्दमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापुर बहाजरी
वादी श्री सुनिल कुमार जैन एवं पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी
है कि :-

बदपरत वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव
नुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना -
करना वहन करे।

क्र.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
	केसरसिंह पुत्र रूपसिंह 1/3 चुण्डावत सा नांदशा के नरेन्द्रसिंह पुत्र शंभुसिंह 1/3 चौहान सा देह विभूराज सिंह पि0 प्रेमसिंह 1/3 चौहान सा0 गंगापुर खातेदार	भूणास (खाता संख्या 609)	3312/2943 /2	0.0375
		योग	1	0.0375
	नोपाल लाल पुत्र नानूराम 1/3 ब्राह्मण बदीलाल पुत्र हरलाल 1/3 ब्राह्मण सोहनलाल पुत्र प्यारचन्द 1/3 ब्राह्मण सा0 कारोई खातेदार	भूणास (खाता संख्या 609)	3312/2943 /1	0.1125
		योग	1	0.1125

निर्णय :- Nil मुबलिंग Nil बाबत Nil खर्चा
मुद्दमे के मय सूद व शहर Nil फीस दी सालाना आज की तारीख से
मुद्दमे तक Nil का अदा करे।

प्रकरण संख्या :-89/2021 (2021/223)
अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
वकील ()	—		महनताना वकील ()	—	
नवाह	—		खर्चा गवाह	—	
कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
इजराय हुक्मनामा	—		बाबत इजराय हुक्मनामा	—	
	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		



Ray
सहायक कलेक्टर पदेन
सिहीयक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर
गंगापुर जिला मीलवाडा (राज.) 2.